प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में फर्मों के कर निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

हमारे निष्कर्ष मुख्यत: अप्रैल से जुलाई 2013 में की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।